न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 कैम्प शाकरगढ़

प्रकरण संख्या/ 1209/21 दिनांक :- 26.11.21

उनवान

श्री बीरमा/रामा रेगर बनाम सरकार जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

::: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का शाकरगढ़ भू. अ. नि. शाकरगढ़ एंव नायब तहसीलदार /तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम शाकरगढ़ प. ह. शाकरगढ़ की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2078 के खाता संख्या 346, 347 में प्रार्थीगण की प्रविष्टि बीरमा पुत्र रामा बोदा के स्थान पर बीरमा पुत्र रामा रेगर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री बीरमा पुत्र रामा रेगर नि. शाकरगढ़
3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा

Scanned with CamScanner